श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 08-10-2018 को सम्पन्न विकास से संबंधित जिला समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

पंजी के अनुसार।

सर्व प्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की निम्नवत समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गए :–

1. खनन :–

(i) बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक, अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव, जिला परिवहन पदाधिकारी, उत्पाद निरीक्षक एवं खनन निरीक्षक को अवगत कराया गया कि परिवहन विभाग के पत्रांक 4052 दिनांक 20.06.2018 के आलोक में बेगुसराय जिलान्तर्गत अवैध वसूली रोकने, ओवर लोडिंग कम करने एवं राजस्व बढ़ोतरी करने हेतु संयुक्त जाँच केन्द्र स्थापित कर की गई कार्रवाई का खान एवं भुतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3815 दिनांक 26.09.2018 द्वारा सभी जिला को अवैध खनन, ओवर लोडिंग को रोकने एवं राजस्व वसूली में प्रभावी वृद्वि हेतु अपेक्षित कार्रवाई का निदेश दिया गया है। इस क्रम में बताया गया कि बक्सर जिला में ओवर लोडेड बालू ट्रक का परिचालन हो रहा है, जिस पर रोक नहीं लग पा रहा है। थाना एवं खनन निरीक्षक के स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में न केवल सड़क एवं पुल पुलिया जैसे आधारभूत संरचनाओं को क्षति पहुँच रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं बक्सर जिला उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया एवं गाजीपुर जिला के सीमा पर अवस्थित रहने के कारण बिहार में मद्य निषेध के बावजूद चोरी छिपे अवैध रूप से शराब की विक्री की जानकारी भी मिल रही है। इस परिपेक्ष्य में खनन, उत्पाद एवं परिवहन विभाग का संयुक्त चेक पोस्ट का निर्माण राजपुर प्रखण्ड अन्तर्गत देवलपुल, चौसा एवं नावानगर प्रखण्ड में आवश्यक है। इस संबंध में विभाग को पत्र भेजा जा चुका है। स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित स्थानों पर संयुक्त चेक पोस्ट का निर्माण कराया जायेगा जहाँ 24×7 तीन पालियों में दण्डाधिकारी के साथ–साथ पर्याप्त संख्या में गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। चेक पोस्ट के पास Kiosk एवं सी0सी0टी0भी कैमरा से निगरानी भी होगी। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिला में सड़क एवं पुल पुलियॉ जैसे आधारभूत संरचनाओं की हो रही क्षति के रोक–थाम हेतु अवैध खनन, ओवर लोडिंग को रोकने एवं राजस्व वसूली में प्रभावी वृद्वि हेतु अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(ii) पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई कि वैसे थाना या ओ0पी0 जो अपने भवन में संचालित नहीं है, की सूची पूर्ण–विवरणी के साथ तैयार कर आज ही उपलब्ध करा दी जाय ताकि दिनांक 09-10-2018 को जिला राजस्व समन्वय समिति की बैठक में जमीन की उपलब्धता के बिन्दु पर समीक्षा की जा सके।

(iii) खनन निरीक्षक, बक्सर से वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह सितम्बर में राजस्व वसूली, अवैध ईट भट्ठों के विरूद्व कार्रवाई बालू से ओवर लोडिंग वाहनों के विरूद्व कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की पृच्छा करने पर बताया गया कि माह सितम्बर में कुल समाहरण– 71,10,000.00 रूपये किया गया है। माह अक्टूबर में प्रगति आयेगी। दण्ड के रूप में 16,11,000.00 रूपये की वसूली की गई है। कुल 132 ईट भट्ठों में से मात्र 14 ईट भट्ठा संचालक द्वारा रॉयल्टी नहीं दी गई। इस संबंध में संबंधित ईट भट्ठा संचालक को निदेशित किया गया है।

स्मीक्षोपरान्त पाया गया कि खनन निरीक्षक द्वारा की जा रही राजस्व वसूली की कार्रवाई असंतोषजनक है। निर्धारित क्षमता से अधिक बालू लदे वाहनों के विरूद्व कार्रवाई नगण्य है। खनन निरीक्षक को निम्नलिखित निदेश दिए गए :–

(a) बालू खनन एवं ईट भट्ठों से प्रभावित क्षेत्र कौन–कौन है, की पहचान कर सूची बनायी जाय।

(b) अवैध संचालित ईट भट्ठों एवं अवैध खनन के विरूद्व विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(c) निर्धारित क्षमता से अधिक बालू लदे वाहनों के विरूद्व कार्रवाई में प्रगति लायें तथा दैनिक प्रगति से अवगत करायें।

(d) निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत–प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0 : अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव /
अनुमंडल पुलिस पदा0, बक्सर एवं डुमरॉव/
परिवहन पदाधिकारी, बक्सर/उत्पाद अधीक्षक, बक्सर/
खनन निरीक्षक, बक्सर)

(iv) प्रत्येक प्रखण्ड में 5+1 गृहरक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। यदि उस अनुरूप गृह रक्षक उपलब्ध नहीं हैं तो अधियाचना भेजें ताकि उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मद्य निषेद्य के अन्तर्गत मद्य निषेद्य के अन्तर्गत छापेमारी करेंगे।

(iv) समीक्षा के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव द्वारा स्ट्राइकिंग फोर्स उपलब्ध कराने का किए गए अनुरोध के आलोक में उन्हें अधियाचना भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0 :– अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव/
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला)

2. <u>सिंचाई</u> :–

खरीफ फसल के लिए नहरों से सिंचाई हेतु पानी के उपलब्धता के संबंध में पृच्छा करने पर कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में नहर में पानी घट गया है। पूर्व में अंतिम छोर तक पानी पहुँचा था। दिनांक 11.10.2018 के बाद इस जिला के नहर में पानी आयेगा। समीक्षा के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र में नहरों से सिंचाई की अद्यतन स्थिति के संबंध में पूछे जाने पर बक्सर प्रखण्ड–बोक्सा एवं पान्डेयपट्टी, चौसा प्रखण्ड– रामपुर, इटाढ़ी प्रखण्ड– बिझौरा, राजपुर प्रखण्ड– नागपुर एवं मंगराव तथा डुमरॉव प्रखण्ड–सिकरौल लख से महराजा हाता में पानी की समस्या बतायी गई। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नहरों से पानी सिंचाई हेतु अंतिम छोर तक पहुँचे इसके लिए कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, परन्तु नहर के ऊँचाई वाले क्षेत्र में लोगों द्वारा गांसी लगा कर पानी रोक दिया जाता है। अनुरोध किया गया कि यदि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान नहर में गांसी न लगे इसका ध्यान रखा जायेगा तो निश्चित रूप से नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया जायेगा। समीक्षोपरान्त कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर एवं विक्रमगंज को निदेशित किया गया कि रूट निर्धारित कर उपलब्ध करायें।

(अनु0 : कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर एवंडुमरॉव/
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला)

3. **विद्युत** :–

समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता, परियोजना एवं विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल को निदेशित किया गया कि चक्की प्रखण्ड के चन्दा पंचायत अन्तर्गत परसिया गाँव के दलित बस्ती में बिजली की सुविधा नहीं है। उक्त टोला में विद्युतीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनु0 :– कार्यपालक अभियंता, परियोजना, बक्सर/
कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्र0, बक्सर)

4. **ग्रामीण विकास विभाग** :–

ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा मुख्य बिन्दुओं को रखा गया :–

(i) बिहार विकास मिशन, उप निदेशक द्वारा बक्सर जिला में क्रियान्वित सात निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं स्थल भ्रमण के पश्चात दिए गए निदेश का अनुपालन।

(ii) SGRY खाद्यान्न की राशि वसूली।

(iii) प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत नये लाभुकों का नाम जोड़ना।

(iv) कलस्टर से संबंधित प्रतिवेदन।

(v) मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना।

(vi) प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रा0) योजना से संबंधित अयोग्य लाभुकों का रिमाण्ड से संबंधित प्रतिवेदन।

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में क्रमवार समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गए :–

(i) उप निदेशक, बिहार विकास मिशन का अनुपालन :–

उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि उप मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन द्वारा बक्सर जिला में क्रियान्वित सात निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं स्थल भ्रमण के पश्चात प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भवन प्रमण्डल, विद्युत आपूर्त्ति, ग्रामीण कार्य विभाग, डुमरॉव, डी0आर0सी0सी0, जिला नियोजन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर से इस कार्यालय के पत्रांक 1060/अभि0 दिनांक 01.10.2018 से अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई थी जो अब तक अप्राप्त है। समीक्षोपरान्त सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि दो दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: सिविल सर्जन /जिला पंचायती राज पदाधिकारी /
जिला योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/
कार्यपालक अभियंता, लो0स्वा0प्र0/कार्यपालक अभियंता, भवन प्र0/
कार्य0 अभि0, विद्युत आपूर्त्ति/कार्य0 अभि0, ग्रा0का0वि0, डुमरॉव,
डी0आर0सी0सी0/ जिला नियोजन पदाधिकारी/
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर)

(ii) **SGRY खाद्यान्न की राशि वसूली** :–

समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि SGRY एवं काम के बदले अनाज योजना में खाद्यान्नों को नष्ट होने के जिम्मेवार जन–वितरण प्रणाली–विक्रेता के विरूद्व निलाम पत्र वाद दायर करने एवं